

# कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

क्रमांक/रीडर/2024/432/2024


दिनांक- 22/05/2024

निमित्त-

तहसीलदार जहाजपुर

विषय:- प्र.स. 432/2024 अनवान शिमला देवी पत्नी रामप्रकाश मीणा निवासी लक्ष्मीपुरा बनाम खाना पिता कल्याण मीणा निवासी लक्ष्मीपुरा, बिरदी चन्द पिता सुखदेव मीणा निवासी लक्ष्मीपुरा, किशनलाल पिता सुखदेव मीणा निवासी लक्ष्मीपुरा, गोपाल लाल पिता सुखदेव मीणा निवासी लक्ष्मीपुरा, मदनलाल पिता सुखदेव मीणा सुखदेव मीणा निवासी लक्ष्मीपुरा, अम्बालाल पिता गोरधन मीणा निवासी लक्ष्मीपुरा, तहसीलदार जहाजपुर वगैरह की पत्थरगढी की पालना बाबत।

उपरोक्त विषयांकित उनवान के प्रकरण में ग्राम बिन्दी प.ह. गंगीथला आराजी सं. 94 कुल किता 01 रकबा 0.7608 हैक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक कुराडिया को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस 500 रुपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रुपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस/समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढी के आदेश दिये जाते हैं। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।

  
उपखण्ड अधिकारी  
जहाजपुर जिला शाहपुरा

फर्द अहकाम  
(नियम 20)

अज अदालत—उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

शिमला देवी पत्नी रामप्रकाश भीणा निवासी लक्ष्मीपुरा .

बनाम

खाना पिता कल्याण भीणा निवासी लक्ष्मीपुरा वगैरह

कस्म मुकदमा प्रा. पत्र 111,128 एल.आर.ए

मुकदमा नंबर 437/2024

रीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तारीख में जारी हुये
/05/2024	<p>प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि में ग्राम बिन्दी प.ह. गंगीथला आराजी सं. 94 कुल किता 01 रकबा 0.7608 हैक्टेयर भूमि स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडौसी है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी करवाने जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावें। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबंदी संवत 2075 से 2078 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायलय पत्थरगढी किया जाना उचित समझता है। ग्राम बिन्दी प.ह. गंगीथला आराजी सं. 94 कुल किता 01 रकबा 0.7608 हैक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिती में पत्थरगढी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक कुराडिया को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर फीस 500 रूपये तय किए जाते है जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमे से 100रु राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। पालना हेतु तहसीदार जहाजपुर को लिखा जावें। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणो को जरिये नोटिस /समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थित में पत्थरगढी के आदेश दिये जाते है। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें।</p> <p>आदेश आज दिनांक 22/05/2024 को खुलं न्यायालय में सुनाया गया।</p>	

उपखण्ड अधिकारी  
जहाजपुर जिला शाहपुरा